

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7,
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) झारिया

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

कृष्णा पुत्री दुर्गराम बनाम राजस्वाम-सरकार

दावा बाबत जाम दुरुस्ती v/s ११ RTI

मुकदमा नम्बर :- 153/2021

निर्णय दिनांक - 06-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-12-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के सम्क्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वयं द्वारा जाम दुरुस्ती के मुद्दे रोटी गणम झारिया की जमाबन्दी के खर्चा से पठक व उप में अंकित कृष्णा पुत्री दुर्गराम के स्वाम पर कृष्णा पुत्री दुर्गराम वर्ज करके के अदेश विधे जाते है। तहसीलदार, चूरु-उपखण्डदार सरकार अतिवैत में अग्रत दशमद करे। अनिष्य में जाम दुरुस्ती के संबंध में निपट होने की स्थिति में समस्त विम्वेदारी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06-12-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



06/12/21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



ना-ना - 1855
6-12-21